न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : **01/2020** (अपील नामा)
GCMS No. 2020/00010

अनवान

1. श्रीमती सायर कुंवर पत्नी श्री भोपाल सिंह, जाति–राजपूत, निवासी हाल पानेरियों की मादड़ी, जिला–उदयपुर।
2. श्रीमती शेल कुंवर पत्नी श्री भंवर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी हाल सुरमगरी, जिला–राजसमन्द।
3. श्रीमती धापु कुंवर पत्नी श्री जालम सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–हाल पाखण्ड, जिला–राजसमन्द।
4. श्री लजेन्द्र सिंह पिता श्री शम्भू सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कन्थारीया, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
5. श्रीमती भंवर कुवंर पत्नी श्री देवराज सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–फीला, तहसील कुराबड हाल निवासी उदयपुर, जिला–उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भगवत सिंह पिता स्व. श्री पदम सिंह, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम सेनवाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
2. श्री गोवर्द्धन सिंह पिता स्व. श्री पदम सिंह, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम सेनवाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
3. श्री लक्ष्मण सिंह पिता स्व. श्री पदम सिंह, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम सेनवाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
4. श्रीमती भंवर कुंवर बेवा स्व. श्री पदम सिंह, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम सेनवाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
5. श्री जीवन सिंह पिता स्व. श्री रघुनाथ सिंह, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम सेनवाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
6. श्री अभय सिंह पिता स्व. श्री रघुनाथ सिंह, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम सेनवाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
7. श्रीमती सुरज कंवर बेवा स्व. श्री रघुनाथ सिंह, जाति–राजपूत, निवासी ग्राम सेनवाडा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
8. तहसीलदार गोगुन्दा, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थि

1. श्री कमलेश चौहान, अपीलान्टस अधिवक्ता।
2. श्री हेमन्त सेजु, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.10 18:31:20 IST
Reason: SelfAttested

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 156 तहसीलदार गोगुन्दा आदेश दिनांक 03.12.2004

* निर्णय *

दिनांक– 10-02-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सेनवाड़ा, पटवार हल्का मोरवल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 56 मे अंकित आराजीयात कुल किता 26 कुल रकबा 2.1050 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज पदम सिंह पिता रामसिंह के नाम दर्ज चली आ रही थी एवं उक्त भूमि पैतृक होने से अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स का बराबर हक एवं हिस्सा निहित है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा दिनांक 03.12.2004 को स्व. पदम सिंह पिता रामसिंह के विधिक वारीसान की जांच किये बिना कथित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कथित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स का नाम भी खाते मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 की ओर से श्री हेमन्त सेजु अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स स्व. श्री पदम सिंह की जाईन्दा पुत्रीया होकर मौरूसी सम्पत्ति मे बराबर हक एवं हिस्सा रखती है एवं उक्त भूमि मे अपीलान्ट्स का नाम दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 को कोई आपत्ति नही है। शेष रेस्पोडेन्ट्स के नाम जारी नोटिस/सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त होने से संलग्न पत्रावली किये गये। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अपीलान्ट्स को स्व. श्री पदम सिंह का विधिक वारिस होना, साबिक खाता संख्या 56 मे वर्णित आराजीयात की भूमि मौरूसी होना, उक्त आराजीयात मे अपीलान्ट्स का बराबर हक एवं हिस्सा निहित होना अवगत कराया एवं उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलान्ट्स का नाम भी उक्त भूमि अकंन कराने हेतु अनुरोध किया। बहस मे भाग लेते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट्स का नाम अभिलेख मे दर्ज करने मे कोई आपत्ति व्यक्त नही की एवं अनुरोध किया कि अपीलान्ट्स का नाम एवं हिस्सा खाते मे नियमानुसार दर्ज किया जावे। उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.10 15:31:20 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपीलान्ट्स अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 03.12.2004 की प्रति, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के जवाब आदि का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया। नामान्तरकरण संख्या 156 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साबिक खाता संख्या 56 मे अंकित आराजीयात कुल किता 26 रकबा 2.1050 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण श्री पदम सिंह के फोत हो जाने पर उनके वारीसान के नाम खोला गया है, किन्तु अपील मे वर्णित अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा स्वयं को स्व. श्री पदम सिंह का विधिक वारिस होना अवगत कराया गया है एवं इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 03.12.2004 पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः जांच उपरान्त नवीन सिरे से खोले जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा सेनवाड़ा, तहसील गोगुन्दा का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 03.12.2004 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गोगुन्दा को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षेणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक पदम सिंह पिता राम सिंह के विधिक वारिसान की जांच कर नवीन सिरे नामान्तरकरण के संबध मे नियमानुसार विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.10 15:31:20 IST
Reason: SelfAttested